रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 152] दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 16, 2015/कार्तिक 25, 1937 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 141
No. 152] DELHI, MONDAY, NOVEMBER 16, 2015/KARTIKA 25, 1937 [N.C.T.D. No. 141

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व–1) विभाग
अधिसूचनाएं
दिल्ली, 16 नवम्बर, 2015

सं.एफ. 3(22)/वित्त/(राजस्व–1)/2015–16/डीएस–VI/913.–जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल का अभिमत है कि जनसाधारण के हित में ऐसा करना समीचीन है।

अतः अब दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 103 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :–

संशोधन

1. तृतीय अनुसूची में, क्रम संख्या 86 पर प्रविष्टि में, उप–प्रविष्टि (xxviii) में, "कल–पुर्जे, सहायक सामग्री (ऐक्सेसरीज), घटकों (कम्पोनेन्ट)" शब्दों तथा चिह्न के पश्चात् तथा "प्लांट तथा मशीनरी" शब्दों से पूर्व "(इलैक्ट्रीक मोटर स्वीचगियर, स्टार्टर के अलावा)" चिह्न तथा कोष्टकों को सन्निविष्ट किया जायेगा।

2. चतुर्थ अनुसूची में, तालिका में:–

"(क) क्रम संख्या 01 पर प्रविष्टि से संबंधित पंक्ति के लिये निम्नलिखित पंक्ति प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :–

1	पेट्रोलियम उत्पाद [पेट्रोल के अलावा (मोटर स्प्रिट), डीजल, विमानन टरबाइन ईंधन, तरल पेट्रोलियम गैस, पाइप प्राकृतिक गैस, सम्पीड़ित प्राकृतिक गैस, वैक्स और केरोसिन] यथा (i) नैफ्थ (ii) लूब्रीकैंट (iii) फर्नस ऑयल; तथा (iv) उक्त उत्पादों का मिश्रण तथा संयोजन	रुपये में बीस पैसे

", तथा

(ख) क्रम संख्या 13 पर प्रविष्टि से संबंधित पंक्ति के पश्चात् निम्नलिखित पंक्ति सन्निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :–

"

14.	विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ)	रुपये में पच्चीस पैसे

"

यह अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू होगी।

FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Delhi, the 16th November, 2015

No. F.3(22)/Fin(Rev-1)/2015-2016/dsvi/913.—Whereas the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is expedient in the interest of general public so to do;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 103 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby, makes the following amendments in the Schedules appended to the said Act, namely :—

AMENDMENTS

1. In the Third Schedule, in Entry at serial No. 86, in sub-entry (xxviii), after the words and symbol "Spare parts, accessories and components" and before the words "of the plant and machinery", the words, symbol and brackets "(other than electric motors, switchgears and starters)" shall be inserted

2. In the Fourth Schedule, in the Table,-

(a) for the row pertaining to Entry at serial No. 1, the following row shall be substituted, namely:-

"

1.	Petroleum Products [other than Petrol (Motor Spirit), Diesel, Aviation Turbine Fuel, Liquid Petroleum Gas, Piped Natural Gas, Compressed Natural Gas, Wax and Kerosene] such as (i) Naptha; (ii) Lubricants; (iii) Furnace oil; (iv) Mixture and combination of above products.	Twenty paise in the rupee

"; and

(b) after the row pertaining to entry at Serial.No.13, the following row shall be inserted, namely:-

"

14.	Aviation Turbine Fuel (ATF)	25 paise in the rupee

"

This notification shall come into force with effect from the day immediately following the date of its issuance.

सं. फा. 3(23)/वित्त(राज.–1)/2015–2016/डीएस–VI/914.–दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 03) की धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005 का पुनः संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

नियमावली

1. **संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारंभ.**–(1) इस नियमावली को दिल्ली मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) नियमावली, 2015 कहा जा सकेगा।

(2) 01 अप्रैल, 2014 से प्रभावी समझा जायेगा।

2. **नियम 35 का संशोधन** :–दिल्ली मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2005, के नियम 35 में उपनियम (2) में परन्तुक के पश्चात् तथा व्याख्या से पूर्व निम्नलिखित नया प्रस्तुक सन्निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :–

यह भी उपबंध है कि आयुक्त दूतावास, उच्चायोग तथा छठी अनुसूची की क्रम सं. 01 की प्रविष्टि में सूचीबद्ध अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से धारा 41 के अन्तर्गत कर रिफंड के लिये आवेदन या अतिरिक्त अथवा संशोधित आवेदन, जैसी भी स्थिति

हो, संबंधित तिमाही के अन्त से एक वर्ष की अवधि तक आवेदन स्वीकार कर सकता है बशर्ते कि वह संबंधित तिमाही की समाप्ति से तीन माह की समय सीमा के दौरान रिफंड के लिये अनुरोध न किये जाने के सही और उचित विद्यमान पर्याप्त कारणों से संतुष्ट हो।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ए. के. सिंह, उप–सचिव -VI (वित्त)

No. F.3(23)/Fin(Rev-I)/2015-2016/ dsvi/914 .- In exercise of the powers conferred by section 102 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby, makes the following rules further to amend the Delhi Value Added Tax Rules, 2005, namely:-

RULES

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Delhi Value Added Tax (Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from 1st April, 2014.

2. **Amendment of rule 35.-** In the Delhi Value Added Tax Rules, 2005, in rule 35, in sub-rule (2), after the proviso and before the explanation, the following new proviso shall be inserted, namely:-

"Provided further that the Commissioner may admit an application for refund or an additional or a revised application for refund, as the case may be, under section 41, from the Embassies, High Commissions and International Organisations listed in the entry at serial No. 1 of the Sixth Schedule, upto a period of one year from the end of relevant quarter, subject to his satisfaction about existence of sufficient cause preventing submission of a true and correct application for refund within the time limit of three months from the end of relevant quarter.".

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi,

A. K. SINGH, Dy. Secy. VI (Finance)

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 16 नवम्बर, 2015

सं.फा. 6/3/2014–न्याय/Suptlaw/1234-1239.–अद्यतन यथासंशोधित दिल्ली न्यायिक सेवा नियमावली 1970 के नियम 18 के उपबंधों के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के परामर्श से, निम्नलिखित 13 अभ्यर्थियों को दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा तैनात किए जाने पर अपने–अपने कार्यालयों में कार्यभार सम्भालने की तिथि से दो वर्षो की अवधि के लिए परिवीक्षा आधार पर दिल्ली न्यायिक सेवा के सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं:–

क्रम सं0	अभ्यर्थी का नाम
1	सुश्री श्रेया गाबा
2	श्री पुनीत नागपाल
3	सुश्री नूपुर गुप्ता
4	सुश्री समीक्षा गुप्ता
5	सुश्री हर्षिता वात्सायन
6	सुश्री वसुन्धरा आजाद
7	श्री मृदुल गुप्ता
8	सुश्री टी प्रियदर्शिनी
9	सुश्री तान्या खन्ना
10	श्री मोहित शर्मा
11	सुश्री उपासना सतीजा
12	सुश्री प्रियंका राजपूत
13	सुश्री निहारिका कुमार

2. ये नियुक्तयां पूर्णतया अस्थायी आधार पर हैं तथा अभ्यर्थियों के जाति/विकलांगता प्रमाण पत्र जहां लागू हो, के सत्यापन के अधीन होगी। यदि सत्यापन से यह पता चलता है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, जैसी भी स्थिति हो,

अथवा शारीरिक रूप से अपंग कोटियों से संबंधित दावा गलत है तो बिना किसी आगामी कारणों तथा असत्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर भारतीय दंड संहिता के उपबंधो के अधीन की जाने वाली आगामी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सेवा तुरन्त समाप्त कर दी जाएगी।

3. उपर्युक्त नियुक्तियां अद्यतन तिथि तक तथा समय–समय पर दिल्ली न्यायिक सेवा के अधिकारियों पर यथा लागू अन्य आदेशों/निर्देशों के अनुसार दिल्ली न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 के उपबंधों के अनुसार होगी।
4. दिल्ली न्यायिक सेवा में तथा उपर्युक्त अभ्यर्थियों की परस्पर वरिष्ठता अन्य चुने गए अभ्यर्थियों के समान वही रहेगी जो अद्यतन तिथि तक यथासंशोधित दिल्ली न्यायिक सेवा नियमावली, 1970 के अनुसार चयन समिती द्वारा तैयार वरीयता सूची में उन्हें दी गई है।
5. उपर्युक्त नियुक्तियां माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन रिट पैटिशन (सिविल) संख्या 514/2015 – जनहित याचिका के लिए केंद्र बनाम महापंजीयक, दिल्ली उच्च न्यायालय तथा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट पैटिशन (सिविल) संख्या 2828/2010 – सुरेंद्र पाल सिंह चौहान बनाम राज्य एवं अन्य के फैसलों के आधीन होगी।
6. पद का वेतनमान 27700–770–33090–920–40450–1080–44770 रुपये + सामान्य भत्ते जैसा समय–समय पर इस संबंध में लागू हो के अनुसार है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उपराज्यपाल के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर,

बृजेश सेठी, प्रधान सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 16th November, 2015

No.F.6/3/2014-Judl./Suptlaw/1234-1239.—In pursuance of the provisions of rule 18 of the Delhi Judicial Service Rules, 1970 as amended up to date, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in consultation with the High Court of Delhi, is pleased to appoint the following 13 candidates as members of the Delhi Judicial Service on probation for a period of two years with effect from the date they assume charge of their respective offices on being posted by the Delhi High Court, New Delhi:

S. No.	Name of the Candidate
1	Ms. Shriya Gauba
2	Mr. Puneet Nagpal
3	Ms. Nupur Gupta
4	Ms. Samiksha Gupta
5	Ms. Harshita Vatsayan
6	Ms. Vasundhara Azad
7	Mr. Mridul Gupta
8	Ms. T Priyadarshini
9	Ms. Tanya Khanna
10	Mr. Mohit Sharma
11	Ms. Upasana Satija
12	Ms. Priyanka Rajpoot
13	Ms. Niharika Kumar

2. These appointments are on purely provisional basis, and subject to the verification of their caste/PH category certifcate, where ever applicable. If the verification reveals that the claim to belong to Scheduled Caste and Scheduled Tribe or Physically Handicapped category, as the case may be, is false, the services will be terminated forthwith without assigning any further reasons and without prejudice to such further action as may be taken under the provisions of the Indian Penal Code for production of false certificate.

3. The above appointment shall be subject to the provisions of the Delhi Judicial Service Rules, 1970 as amended up to date and other orders/instructions as may be applicable to the officers of the Delhi Judicial Service from time to time.

4. The inter-se seniority of the above named candidates in the Delhi Judicial Service vis-à-vis other selected candidates will remain the same as assigned to them in the merit list prepared by the Selection Committee in accordance with the provisions of the Delhi Judicial Service Rules, 1970 as amended up to date.

5. The above appointment shall be subject to outcome of WP(C) No.514/2015 titled 'Centre for Public Interest Litigation Vs. Registrar General of the High Court of Delhi' pending before the Hon'ble Supreme Court of India and WP (C) No.2828/2010 titled 'Surender Pal Singh Chauhan Vs. State & Anr.' Pending before the Hon'ble High Court of Delhi.

6. The post carries the scale of pay of Rs.27700-770-33090-920-40450-1080-44770 plus usual allowances as may be applicable in this behalf from time to time.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
BRIJESH SETHI, Principal Secy.

4799 DG/15-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.